	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा0दी0 पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए न्यायालय के समक्ष 26.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था। जिसका न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2020 को 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने के आदेश के साथ निस्तारण किया गया था। जिसकी तदोपरान्त माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गयी। जिसमें अंतिम रूप से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को पुष्ट किया गया था। इसके पश्चात प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया कि मौके पर 12 फुट लम्बाई का रास्ता कम पड रहा है। इसलिए प्रार्थी को रास्ता दिलवाने का आदेश प्रदान करें। इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय की आदेशिका पर दिनांक 24.02.2023 को लिया गया। तथा सम्मन तलवाना जारी किए गये। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.04.2023 को जवाब भी पेश किया गया था। परन्तु इसका आदेशिका पर कोई अंकन नहीं है। जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता के आदेशिका पर हस्ताक्षर है। इसके पश्चात दिनांक 21.07.2023 को अप्रार्थी की अनुपस्थिति दिखाकर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये गये। जोकि गलत है। जिसे अपास्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जो कि धारा 151 की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय आदेश दिनांक 21.07.2023 को अपास्त किया जावें। वकील अप्रार्थी ने जबाब इस आशय का पेश किया है कि उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए न्यायालय के समक्ष 26.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था। जिसका न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2020 को 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने के आदेश के साथ निस्तारण किया गया था। जिसकी तदोपरान्त माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गयी। प्रार्थी का मौके पर रास्ता तरमीम भी कर दिया गया था। प्रार्थी को 151 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की पूर्ण जानकारी थी। अप्रार्थी	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

21.07.2023 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए एक पक्षीय आदेश सही पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2020 के तहत ही धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो कि पूर्व के निर्णय का ही अंग है। प्रार्थी को मौके पर रास्ता दे दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राशी भी प्राप्त कर ली गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं वकील अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है।

बहस वकील फरिकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, संबंधित आदेशिकाओं का अवलोकन किया। उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए न्यायालय के समक्ष 26.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था। जिसका न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2020 को 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने के आदेश के साथ निस्तारण किया गया था। जिसकी तदोपरान्त माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गयी। जिसमें अंतिम रूप से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को पुष्ट किया गया था।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 मौके पर 12 फुट लम्बाई का रास्ता कम होने के कारण प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय की आदेशिका पर दिनांक 24.02.2023 को लिया गया। तथा सम्मन तलवाना जारी किए गये। तत्पश्चात अप्रार्थी 19.04.2023 को न्यायालय में जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी को प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी। अप्रार्थी का यह कथन कि "अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.04.2023 को जवाब भी पेश किया गया था।" पूर्णतः गलत है। क्योंकि इस प्रकार का कोई अंकन आदेशिका पर नहीं है। दिनांक 21.07.2023 से पूर्व भी अप्रार्थी को कई मौके दिए गये थे। इसके पश्चात दिनांक 21.07.2023 को अप्रार्थी की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो कि सही है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03. 2020 के तहत ही धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो कि पूर्व के निर्णय का ही अंग है। जिसका मुख्य कारण नाप में कमी होना है। जो कि राजस्व कार्मिकों की भूल है। प्रार्थी द्वारा प्रथक से कोई रास्ता नहीं मांगा गया है। वर्तमान में प्रार्थी को मौके पर रास्ता दे दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राशी भी प्राप्त कर ली गयी है। पूर्व प्रकरण को उच्चतर

उपखण्ड अ
जोबनेर,

न्यायालयों द्वारा पुष्ट भी कर दिया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा0दी0 संधारणीय नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नबंर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर